भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1526

उत्तर देने की तारीख- 28/07/2026

एडीआईपी के तहत सहायता मानदंड

1526. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री शंकर लालवानी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता (एडीआईपी) योजना के अंतर्गत विभिन्न आय वर्गों के लिए सहायता दरों को विनियमित करने के लिए लागू किए गए प्रचालनात्मक मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्नत सहायक उपकरण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए आधारभूत जीवन संकेतकों में परिवर्तन को दर्शाने वाले डैशबोर्ड आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विकासात्मक नि:शक्तता वाले लक्षित व्यक्तियों के लिए कार्यान्वित किए गए निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): एडिप योजना के तहत, किसी लाभार्थी को दी जाने वाली सहायता की राशि का निर्धारण उसकी मासिक पारिवारिक आय के आधार पर किया जाता है। एडिप योजना के तहत, 15,000/- रुपये तक की लागत वाले सहायक यंत्र/उपकरण कवर किए जाते हैं, इसमें कुछ सहायक यंत्रों और उपकरणों जैसे हाई-एंड प्रोस्थेसिस के लिए सब्सिडी 30,000/- रुपये तक है और मोटर चालित ट्राइसाइकिल तथा मोटर चालित व्हीलचेयर के लिए 50,000/- रुपये तक सब्सिडी की छूट दी जाती है। आय के आधार पर अधिकतम सब्सिडी सीमा के अधीन सहायता की राशि निम्नलिखित है:-

कुल आय	सहायता की राशि
(i) प्रति माह 22,500/ रुपये तक	सहायक यंत्र/उपकरण की पूरी लागत
(ii) प्रति माह 22,501/- रुपये से 30,000/- रुपये तक	सहायक यंत्र/उपकरण की लागत का 50%

(ख): एडिप योजना के तहत लाभार्थी से संबंधित डेटा और सहायक उपकरणों के वितरण की सूचना अर्जुन पोर्टल के माध्यम से मॉनिटर की जाती है।

(ग): निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अनुसार ऑटिज़्म, प्रमस्तिष्क घात, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु-दिव्यांगता के संदर्भ में दिव्यांगताओं को कवर करती है। बीमा कवर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष है, जिसे निम्नलिखित लाभ सूची के अनुसार विभाजित किया गया है:-

धारा	उप-धारा	विवरण	उप-सीमा	धारा की समग्र सीमा
I	अस्पताल में भर्ती होने की समग्र सीमा			55,000/-
	क	मौजूदा दिव्यांगता (जन्मजात दिव्यांगता सहित) के लिए सुधारात्मक सर्जरी (धारा 1 (क) के तहत 15000/- रुपये की अधिकतम सीमा। मौजूदा दिव्यांगता के लिए सुधारात्मक सर्जरी के अलावा अन्य मामलों के लिए, जो धारा 1 (क) की 40,000/- रुपये की समग्र सीमा में शामिल है)	40,000/-	
	ख	गैर-सर्जिकल/अस्पताल में भर्ती होना	15,000/-	
II	बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) के लिए समग्र सीमा			19,000/-
	क	ओपीडी उपचार जिसमें दवाएं, पैथोलॉजी, नैदानिक जांच आदि शामिल हैं।	15,000/-	
	ख	दंत चिकित्सा निवारक दंत चिकित्सा	4,000/-	
III	दिव्यांगता तथा दिव्यांगता संबंधी जटिलताओं के प्रभाव को कम करने के लिए चल रहे उपचार (थेरेपी)			20,000/-
IV	वैकल्पिक चिकित्सा-आयुष			4,000/-
V	परिवहन लागत			2,000/-
एक व्यक्ति के लिए कवरेज की समग्र सीमा: 1,00,000/- रुपये				
